

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2
संख्या-1650/ग्यारह-2-24-9(47)/17-टी0सी0-270-उ0प्र0अधि0-1-2017-
आदेश-(333)-2024
लखनऊ:दिनांक: 08-01-2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2024), जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कस्के राज्यपाल-

(क) 27 सितम्बर, 2024, को ऐसी तारीख के रूप में नियत करते हैं जिसको उक्त अधिनियम की धारा 6, 34 और 36 के उपबंध प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे; और

(ख) 1 नवम्बर, 2024, को ऐसी तारीख के रूप में नियत करते हैं जिसको उक्त अधिनियम की धारा 2 से 5, 7 से 29, 30 से 33 और 35 के उपबंध प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे ।

आज्ञा से,

Signed by
(एम० देवराज)
M. Devaraj
प्रमुख सचिव

Date: 08-01-2025 18:48:06